SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No 139/18 Sum Complaint or report madeon 28-04-18 Name and address of the ComplainantPolice station Malanpur
Name , parentage, caste and address of accused
विनोदसिंह पुत्र शिवसिंह भदौरिया उम्र 26 साल
निवासी सब्जी मण्डी मालनपुर जिला भिण्ड म०प्र०
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आप पर आरोप है कि दिनांक 28.04.18 को 18:40 बजे मुकाम टॉवर के पास
सब्जी मण्डी मालनपुर पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में 25 क्वार्टर देशी शराब प्लेन
विकय/परिवहन हेतु रखी।
ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो
हस्ता.
The plea of the accused and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।
हस्ताo अभियुक्त हस्ता .

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 03.07.18 को घोषित)

- 01. <u>अ</u>भियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि0 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि0 1915 की धारा 34–1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34—1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अविध तक की सजा एवं रूपये 1000 शब्दों में एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर सात दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
- 04. जप्तशुदा 25 क्वार्टर देशी प्लेन शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। मेरे निर्देशन पर टंकित

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)